ज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री प्रदीप विश्नोई — श्री मदनपुरी गोस्वामी 01, 02	

प्रताप बनाम राजवीर वगैरह (2025/487)

27.10.2025 — पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेसपोडेन्ट संख्या 01, 02 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 10.11.2025 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

10.11.2025 — पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 27.10.2025 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.2025 को कतई एकतरफा, गलत, विधि विरूद्ध व मनमाना आदेश होने से निरस्तनीय है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि दादा के जीवनकाल में पौत्र/पौत्री को दादा की सम्पत्ति में हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है कानूनन वह खातेदारी घोषणा व विभाजन का दावा नहीं कर सकते है। उक्त प्रकरण में रेसपोडेन्ट/वादीगण द्वारा अपने दादा की सम्पत्ति में हक अधिकार की खातेदारी घोषणा व विभाजन का अनुतोष चाहा है जबकि वादीगण को दादा के जीवनकाल में वाद लाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है परंतु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के अपीलार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो विधिक प्रावधानों के विपरीत मनमाना होने से निरस्तनीय है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, चूंकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का कोई हक अधिकार नहीं बनता है।

अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड में प्रार्थी अपने खेत का उपयोग-उपभोग नही कर पा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से भी वंचित हो रखा है जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति कारित हो रही है। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 19.08.2025 की पालना, प्रभाव स्थगित रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक रेसपोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने दौराने जवाब निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात रेसपोडेन्ट संख्या 01 व 02 की पुश्तैनी सम्पत्ति है तथा पिता की मृत्यु उपरांत दादा उक्त सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द कर बेचान करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.2025 को अंतरिम स्थगन पारित किया है। अपीलांट द्वारा हमारे प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश नहीं किया गया। यदि आज अंतरिम स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है तो वादग्रस्त आराजीयात के बेचान की प्रबल संभावना है तथा वादी/रेसपोडेन्ट का वाद प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि रेसपोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

प्रताप v/s राजवीर-कौर

487/2025/225

लगातार-...

द्वारा दर्ज कर रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अंतरिम स्थगन आगामी पेशी दिनांक 25.09.2025 तक पारित किया गया तथा अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार है तथा रेस्पोडेंट संख्या 01, 02 का दादा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी जो वाद ग्रस्त आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार है को सुने बिना ही अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है।

इस संबंध में हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 2014 (1) डीएनजे (राज0) पेज संख्या 35 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पारित कोई भी आदेश चाहें वो अंतरिम हो या अंतिम अपील योग्य है।

हमने 2021 आर0बी0जे0 पेज 222 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955– धारा 221 व 225–एस0डी0ओ0 द्वारा पारित अन्तरिम आदेश अपील योग्य है इसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है।

उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते है अतः अपील कानूनी रूप से न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय है।

इसके अतिरिक्त मुख्य विवाद का बिन्दु यह है कि क्या दादा के जीवनकाल में पौतो को सम्पत्ति में किसी प्रकार के हक प्राप्त होते है अथवा नहीं ?

इस संबंध में हमने 2020 आर0बी0जे0 पेज 377 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पिता के जीवनकाल में पुत्र सम्पत्ति पर उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकता।

उक्त विधिक बिन्दु वाद के निस्तारण के बाद तय किये जायेंगे किन्तु विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार एक रिकार्डेड खातेदार को बिना सुनवाई का अवसर दिये पाबंद नहीं किया जा सकता है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात का बेचान किया जा रहा है किन्तु बेचान के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे उक्त कथन की ताईद होती है। अतः इस संबंध में हमारा यह मत है कि क्या पौतो को दादा के जीवनकाल में दादा की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त होंगे अथवा नहीं ? इसका निर्धारण वाद साक्ष्य दावे के निस्तारण के समय तय होगा किन्तु आज एक रिकार्डेड खातेदार को बिना सुने किसी भी प्रकार की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है जिसका अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है अतः हम पक्षकारान के समय एवं आर्थिक व्ययता के मध्यनजर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 61/2025 में पारित आदेश दिनांक 19.08.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनों मूलभूत बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का विस्तृत विवेचन करते हुए प्रकरण को 60 दिवस में गुणावगुण पर निस्तारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

अपील टी.ए. संख्या– 487/2025 जिला–अजमेर

प्रताप पुत्र घीसा जाति जाट निवासी ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. राजवीर पुत्र शंकर
2. साक्षी पुत्री शंकर

   नाबालिग जरिये कुमदरती वलिया माता आशादेवी पत्नी शंकर जाति जाट निवासी ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर।
3. अलोली पत्नी राधाकिशन
4. जमना पुत्री राधाकिशन
5. दुर्गालाल पुत्र राधाकिशन
6. देवकरण पुत्र राधाकिशन
7. मंजू पुत्री राधाकिशन
8. रसाल पुत्र राधाकिशन
9. सीमा पुत्री राधाकिशन
10. गोपाल लाल उर्फ गजराज पुत्री मिश्री
11. छोटू पुत्री मिश्री
12. छोटी देवी पुत्री मिश्री
13. लाली पत्नी ओमप्रकाश
14. शांति पुत्री मिश्री
15. सोनू पुत्र ओमप्रकाश
16. हेमा पुत्री ओमप्रकाश
17. हांसी पुत्री सवाई

    समस्त जाति जाट निवासी ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर।
18. कैलाश देवी टाक पुत्री जयनारायण टाक निवासी रेलवे कॉलोनी रामगंज अजमेर।
19. गीता पत्नी रमेश कुमार जाति लखारा

Scanned with CamScanner

20. प्रभूलाल पुत्र लालाराम जाति सरगरा
21. महेन्द्र पुत्र रामचन्द्र प्रजापति जाति कुम्हार
22. राजवीर पुत्र रमेश कुमार जाति लखारा
23. सीमा पुत्री रमेश कुमार जाति लखारा
24. ओमप्रकाश पुत्र बालू जाति जाट
25. कैलाश पुत्र बालू जाति जाट
26. कामना पुत्री गोपाल जाति जाट
27. किशनलाल पुत्र सवाई जाति जाट
28. गेंदी पत्नी छोटू जाति जाट
29. गंभीरा पुत्र नन्दा जाति जाट
30. गमीरा पुत्र उरजा जाति जाट
31. जसराज पुत्र बालू जाति जाट
32. पारसमल पुत्र जवरीलाल जाति जाट
33. मधु पत्नी गोपाल जाति जाट
34. विजय पुत्र छोटू जाति जाट
35. हस्तीमल पुत्र जवरीलाल जाति महाजन

    समस्त निवासीगण ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर।
36. बैंक ऑफ बडौदा शाखा राजगढ तहसील नसीराबाद जिला अजमेर जरिये प्रबंधक।
37. उप पंजीयक महोदय, अजमेर जिला अजमेर।
38. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर।

.....रेस्पोडेन्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर जिला अजमेर दिनांक 19.08.2025 प्रकरण संख्या 61/2025 उनवानी राजवीर व अन्य बनाम प्रताप व अन्य।

मान्यवर,

Scanned with CamScanner